न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2015/00444

भगवान सिंह आत्मज गिलेरीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मांगली खुर्द तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार राज्य जरिये तहसीलदार, हिण्डोली ।
2. फत्तेखॉ वल्द खुदा बक्ष ।
3. मिस्टर सुबराती खॉ वल्द सुभानखॉ (मृतक) कायममुकामान :–
   3/1. अफजल हुसेन आत्मज सुभराती खॉ ।
   3/2. जाकिर हुसैन आत्मज सुभराती खॉ ।
   3/3. जैबुनिशा पुत्री सुभराती खॉ ।
   3/4. शकिला बनो पुत्री सुभराती खॉ ।
   3/5. नेक परवीन पुत्री सुभराती खॉ ।
4. करीम बक्ष आत्मज नबी बक्ष ।
5. छोटू खॉ वल्द नसीर खॉ ।
6. मोहम्मद बेजाज वल्द नसीर मोहम्मद ।
7. नूर मोहम्मद वलद अब्बास अली जातियान मुसलमान निवासीगण बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.10.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मांगली खुर्द तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 45/173

रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 248/110 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा कुल 02 किता की रकंबा 13 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी कम 2 से 7 के नाम सरकार खातेदार दर्ज हो रही है । उक्त भूमि बंजड से फाड कर सन् 1959 में कृषि योग्य बनायी थी और एक कुआ खुदवाया था एवं एक पक्का मकान बनाया जिसमें वादी मय परिवार निवास कर रहा है । उक्त भूमि पर वादी के पिता सन् 1959 से जीवन पर्यन्त काश्त करते रहे उनकी मृत्यु के बाद वादी उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । वादी उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त की आराजी में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट वादी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । वादग्रस्त आराजी पर वादी के पिता का सन् 1959 से उनके जीवनपर्यन्त कब्जा था और उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । अपीलान्ट उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी और न ही लोक अदालत की कोई सूचना थी । दिनांक 04.08.2015 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर पेशी बाबत् पता किया तो जानकारी प्राप्त हुई कि निर्णय पारित कर दिया गया है जिस पर दिनांक 24.09.2015 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था । इस दावे को लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना खारिज किया गया है । वादग्रस्त आराजी को अपीलान्ट के पिता ने सन् 1959 में कृषि योग्य

बनाया था । सन् 1959 से आराजी पर लगातार अपीलान्ट के पिता एवं अपीलान्ट का कब्जा है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अभिभाषक की बहस नहीं सुनी गई है । दस्तावेजात का अवलोकन नहीं किया गया है । आराजी गलत रूप से रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 7 को आवंटित की गई है जबकि मौके पर कब्जा अपीलान्ट का ही है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने जो दावा पेश किया था उसमें प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । अपीलान्ट की ओर से अपनी साक्ष्य पूर्ण कर ली गई थी उसके उपरान्त विधि सम्मत रूप से दावा खारिज किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 13.07.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने यह कथन करते हुए वादग्रस्त आराजी के बाबत् हक घोषणा का दावा पेश किया था कि वादग्रस्त आराजी पर सन् 1959 से उनका लगातार कब्जा है और आराजी गलत रूप से रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 7 के खातेदारी में दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई थी । वादी की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी थी, पत्रावली बहस में लम्बित थी और इसका लोक अदालत में निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है । जहॉ तक बहस का प्रश्न है हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया है । कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच और माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । तद्नुसार अपीलान्ट वादी का दावा विधिक प्रावधानों के अनुसार मेन्टेनेबल नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/10/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2015/00444

भगवान सिंह आत्मज गिलेरीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मांगली खुर्द तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार राज्य जरिये तहसीलदार, हिण्डोली ।
2. फत्तेखॉ वल्द खुदा बक्ष ।
3. मिस्टर सुबराती खॉ वल्द सुभानखॉ (मृतक) कायममुकामान :–
   3/1. अफजल हुसेन आत्मज सुभराती खॉ ।
   3/2. जाकिर हुसैन आत्मज सुभराती खॉ ।
   3/3. जैबुनिशा पुत्री सुभराती खॉ ।
   3/4. शकिला बनो पुत्री सुभराती खॉ ।
   3/5. नेक परवीन पुत्री सुभराती खॉ ।
4. करीम बक्ष आत्मज नबी बक्ष ।
5. छोटू खॉ वल्द नसीर खॉ ।
6. मोहम्मद बेजाज वल्द नसीर मोहम्मद ।
7. नूर मोहम्मद वलद अब्बास अली जातियान मुसलमान निवासीगण बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

वाद संख्या: 16/दावा/2009

भगवान सिंह आत्मज गिलेरीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मांगली खुर्द तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार राज्य जरिये तहसीलदार, हिण्डोली ।
2. फत्तेखॉ वल्द खुदा बक्ष ।
3. मिस्टर सुबराती खॉ वल्द सुभानखॉ ।
4. करीम बक्ष आत्मज नबी बक्ष ।
5. छोटू खॉ वल्द नसीर खॉ ।
6. मोहम्मद बेजाज वल्द नसीर मोहम्मद ।
7. नूर मोहम्मद वलद अब्बास अली जातियान मुसलमान निवासीगण बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.02.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 28.10.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री प्रेमशंकर गुर्जर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 28.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

28/10/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा